

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
रिछपाल बनाम सुभाष आदि
वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 68 वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
07.02.2024	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 07.03.2024 को पेश हो</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>07/02/2024 1कुलाए कसकन उपस्थत/PU माहक इफ्तखार फावला है। पत्रावली उपस्थत गस्त तल्ब दिनाक 14.5.2024 को पेश हो <i>[Signature]</i></p>	
14.5.2024	<p>1कुलाए कसकन उपस्थत/PU माहक इफ्तखार फावला है। पत्रावली उपस्थत गस्त तल्ब दिनाक 11.5.2024 को पेश हो <i>[Signature]</i></p>	
11.7.2024	<p>1कुलाए कसकन उपस्थत/PU माहक इफ्तखार फावला है। पत्रावली उपस्थत गस्त तल्ब दिनाक 10.9.2024 को पेश हो <i>[Signature]</i></p>	
10.9.2024	<p>पत्रावली फेरा हुई। वकील कडी उपस्थत नहीं। वकील कडी क कडी रूपों को जल-काल आवाज लगाई। छि की एपिएर नही वाद कडी कडम फुकी क कडम हाजरी में धारीज छुफा जाला है। पत्रावली वगैर को कडम की जलकर वाद तल्ब कर वकील जलला फाविल हुकतुर हो।</p> <p><i>[Signature]</i> सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ</p>	

